अध्याय-पांच

विधान.

(क) विधेयक का पुर:स्थापन और प्रकाशन.

सरकारी विधेयकों को पुर:स्थापित करने की अनुमति के लिये प्रस्ताव की सूचना.

23. (1) विधेयक के पुर:स्थापित करने की अनुमति के लिये प्रस्ताव करने का इच्छुक मंत्री अपने उस अभिप्राय की लिखित सूचना देगा.

(2) इस निदेश के अधीन विधेयक के पुर:स्थापित करने की अनुमति के लिये प्रस्ताव की सूचना देने की अवधि सात दिन की होगी जब तक अध्यक्ष कम सूचना पर प्रस्ताव करने की अनुमति न दें.

विधेयक पुर: स्थापित करने की अनुमति के लिये प्रस्ताव का कार्यसूची में सम्मिलित किया जाना.

24. पुर:स्थापन के लिये कोई विधेयक किसी दिन की कार्यसूची में तब तक सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसकी प्रतियां उस दिन से, जब कि विधेयक का पुर:स्थापन आशयित हो, कम से कम दो दिन पूर्व सदस्यों के उपयोग के लिये सूचना कार्यालय में उपलब्ध न करा दी गई हों :

परंतु यह कि जिन मामलों में मंत्री यह चाहता हो कि प्रतियां उपलब्ध किये बिना अथवा उपलब्ध कराने के पश्चात् किन्तु दो दिन से पहले विधेयक पुर:स्थापित किया जाए, तो वह पूरे-पूरे कारण देते हुए अध्यक्ष के विचार के लिये एक ज्ञापन द्वारा यह बतायेगा कि सदस्यों को पहले से प्रतियां न दिये बिना विधेयक क्यों पुर:स्थापित किया जा रहा है, और यदि अध्यक्ष अनुमति दे, तो विधेयक उस दिन की, जब कि विधेयक को पुर:स्थापित किये जाने का विचार हो, कार्यसूची में सम्मिलित कर लिया जायेगा. ज्ञापन में दर्शित कारण भी पत्रक के माध्यम से सदस्यों को सूचित किए जाएंगे.

(ख) गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक.

उन सदस्यों के नामों का एक साथ रखा जाना जिन्होंने एक से गैर सरकारी विधेयकों की सूचनाएं दी हों.

25. (1) उन सभी सदस्यों के नाम, जिन्होंने एक से विधेयक की अलग-अलग सूचनाएं दी हों, कार्यसूची में विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव के सामने एक साथ दिखाये जायेंगे.

(2) ऐसे सदस्यों के नाम विधेयक के साथ उस क्रम में रखे जायेंगे, जिसमें समय की दृष्टि से सूचनाएं प्राप्त हुई हों.

(3) जिस सदस्य का नाम पहले आता हो, वह विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा:

परंतु यदि पहला सदस्य अनुपस्थित हो तो दूसरा उपस्थित सदस्य क्रमानुसार अपने विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव कर सकेगा.

विधेयकों के पुर:स्थापन के लिये प्राधिकार का दिया जाना.

26. **जिस सदस्य** ने विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव करने के अपने अभिप्राय की सूचना दी हो, वह किसी दूसरे सदस्य को अपनी ओर से प्रस्ताव करने का प्राधिकार दे सकेगा :

परंतु ऐसा प्राधिकार लिखित होगा और उसमें यह स्पष्ट उल्लेख होगा कि विधेयक के आगे और प्रक्रमों के संबंध में बाद के सभी प्रस्तावों के लिये इस प्रकार प्राधिकृत किया गया सदस्य प्रभारी होगा :

परंतु यह और भी कि विधेयक के राजपत्र में प्रकाशित होने से पहले विधेयक के साथ संलग्न उद्देश्यों और कारणों के विवरण पर उस सदस्य द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे जिसने उसे वास्तव में पुर:स्थापित किया हो.

पुर:स्थापन के बाद विधेयक को आगे चलाने के लिये दूसरे सदस्य को प्राधिकार का दिया जाना.

27. अध्यक्ष, विधेयक के प्रभारी सदस्य द्वारा इस बारे में एक आवेदन किये जाने पर इस बात से संतुष्ट होने पर कि वह सदस्य ऐसे कारणों से जिनको अध्यक्ष पर्याप्त समझता हो, विधेयक के पुर:स्थापित होने के बाद के किसी या सभी प्रक्रमों को स्वयं आगे चलाने में असमर्थ है, विधेयक के प्रभारी सदस्य की विधेयक के उस प्रक्रम या प्रक्रमों को आगे चलाने के लिये, जिनके संबंध में उसने आवेदन किया हो, दूसरे सदस्य का नाम निर्देशन करने की अनुमति दे सकेगा.

(ग) विधेयकों को शुद्ध करने की प्रक्रिया.

विधेयकों को विभिन्न प्रक्रमों मे शुद्ध करने की प्रक्रिया.

28. किसी विधेयक के पुर:स्थापित रूप में या किसी विधेयक के प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में सभा द्वारा स्वीकृत संशोधन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा :

परंतु अध्यक्ष शुद्धि-पत्र निकाल कर विधेयक के किसी भी प्रक्रम पर छपाई या लिपिक की गलती को शुद्ध कर सकेगा.

(घ) अंतरावधि में प्राप्त विधेयक की सूचना.

अन्तरावधि में प्राप्त विधेयकों को पुरः स्थापित करने की अनुमति के लिये प्रस्तावों के अतिरिक्त विधेयकों के संबंध में अन्य प्रस्तावों की सूचनाओं के बारे में कार्रवाई.

29. यदि किसी विधेयक के पुर:स्थापन के पश्चात् उसके संबंध में नियम 65 के अंतर्गत किसी प्रस्ताव की सूचना सभा के सत्रावसान की तिथि और अगले सत्र के लिये आमंत्रण भेजने की तिथि के बीच प्राप्त हो, तो ऐसी सूचना को आगामी सत्र के लिये दी गई सूचना समझी जायेगी.

(ङ) विनियोग विधेयक.

विनियोग विधेयक संबंधी प्रक्रिया.

30. (1) विनियोग विधेयक की सूचना उस विधेयक तथा उद्देश्यों और कारणों के वक्तव्य की एक प्रति के सहित देने और ऐसे विनियोग विधेयक में अंतर्भूत अनुदानों के मतदान के लिये नियत दिवस के पहले भी नियम 59 के अधीन राजपत्र में विधेयक के प्रकाशन के लिये प्रार्थना करने के लिये वित्त मंत्री सक्षम होंगे. ऐसी सूचना "संभाव्य सूचना" के समान वर्णित की जायेगी.

(2) ऐसी सूचना और प्रार्थना प्राप्त होने पर विधान सभा सचिवालय विधेयक प्रकाशित करने और सदस्यों को विधेयक की प्रतियां बांटने के लिये सक्षम होगा.

(3) वह विधान सभा नियम, विनियोग विधेयक के संबंध में लागू न होगा, जिसके अनुसार किसी विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव होने के कम से कम दो दिनों के पूर्व विधेयक की प्रतियां सदस्यों के लिये उपलब्ध कराना आवश्यक होता है.

(4) कोई सदस्य विधेयक को विचार में लेने के मूल प्रस्ताव पर संशोधन के रूप में विधेयक के परिचालित करने का प्रस्ताव अथवा प्रवर समिति को सौंपे जाने का प्रस्ताव जिस नियम के अनुसार कर सकता है, वह नियम विनियोग विधेयक के संबंध में लागू न होगा.

(च) विधेयक का सभा पटल पर रखा जाना.

30–क. सभा द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक नियम 90 (1) के अंतर्गत राज्यपाल/राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त हो जाने के पश्चात् सचिव द्वारा सभा पटल पर रखा जायेगा.

अनुमोदन के पश्चात् विधेयक का सभा पटल पर रखा जाना.